

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपमोक्ता का उपकारी)

**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शाक्ति भवन 14-अशोक भवन

लखनऊ-226001

संख्या—277-प्र०स०-01 / पाकालि / 2006-29-प्र०स०/2001 दिनांक — नवम्बर 02, 2006

## कार्यालय ज्ञाप

विद्युत उपभोक्ताओं को नये संयोजन अवमुक्त करने की प्रक्रिया को सख्तीकृत करने एवं उसमें लगने वाले समय में कटौती करने के उद्देश्य से 4 किलो 10 विद्युत भार तक के सिंगल फेज घरेलू बत्ती एवं पंखा के संयोजनों को अवमुक्त करने हेतु अवर अभियन्ता (वितरण) को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अधिकृत किया जाता है :—

- 1— सबधित अवर अभियन्ता (वितरण) उपभोक्ता द्वारा नया संयोजन स्थीकृत करने समस्त औपचारिकताएं विद्युत आपूर्ति सहिता तथा निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित धनराशि ऑफ लाइन/ऑन लाइन के माध्यम से निष्पत्ति प्रारूप पर रीष्टे निगमीय खाते में जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 2— प्रत्येक वितरण खण्ड कार्यालय द्वारा उनके अधीनस्थ तैनात सभी अवर अभियन्ता (वितरण) को रीष्टे नये संयोजनों हेतु 30 सर्विस संयोजन नम्बर आवंटित किये जायेंगे।
- 3— नये संयोजन की धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् अवर अभियन्ता (वितरण) सम्बन्धित उपभोक्ता के परिसर में मीटर की खापना के पश्चात् ही विद्युत का प्रवाह सुनिश्चित करेंगे।
- 4— समस्त अवर अभियन्ता (वितरण) आवंटित नये संयोजनों के विलङ्घ सम्बन्धित परीक्षण खण्ड कार्यालय से मौंग-पत्र प्रेषित कर अग्रिम रूप में मीटर प्राप्त करेंगे। इन मीटरों को खापित करने तथा उसका लेखा प्रस्तुत करने पर पुनः नये संयोजनों हेतु मीटर निर्गत किये जायेंगे।
- 5— अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा कोई भी संयोजन दिना मीटर के अवमुक्त किया जाना निषिद्ध होगा।
- 6— अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा माह में निर्गत नये संयोजनों का उत्तम प्रत्येक माह पी-2 रजिस्टर (प्रायोरिटी रजिस्टर) में प्रविष्ट किये जायेंगे।
- 7— कम्यूटर ऑन लाइन प्रणाली में पासवर्ड इस्तेमाल किये जाने की स्थिति में अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा आवंटित/निर्गत नये संयोजनों का लेजरीकरण का कार्य किया जायेगा अथवा अन्य स्थिति में बी0सी0डी0 प्रोफार्मा भरकर मूल पत्रावलियों सहित उपखण्डीय कार्यालय में लेजरीकरण हेतु प्रभुत किया जायेगा।
- 8— उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने के पश्चात् पुनः अग्रेत नये संयोजनों हेतु 30 नये सर्विस संयोजन नम्बर वितरण खण्ड कार्यालय द्वारा आवंटित किये जायेंगे।
- 9— उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बहुखण्डीय आदासों एवं बहुखण्डीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संयोजन अवमुक्त नहीं किये जायेंगे।

उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान करने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र का ग्राहक संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष

संख्या — 277(1)-प्र०स०-01 / पाकालि / 2006-29-प्र०स०/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— मुख्य महाप्रबन्धक सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र० पा0का0लि0, शाक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— प्रदन्त निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र० पा0का0लि0, शाक्ति भवन, लखनऊ।

*Munshi*  
21/11/06

- 3— समस्त निदेशकगणों से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, मध्याचल/परियाचल/दक्षिणाचल/पूर्वाचल, विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/कैट को, कानपुर।
- 5— मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6— महाप्रबन्धक (का०प्र०—प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्टर-1/2), उ०प्र० पा०का०लि०।
- 8— समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०।
- 9— समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पा०का०लि०।
- 10— समस्त अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०।
- 11— समस्त उपसचिव/अनुसचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12— समस्त अनुभाग/कोष्ठक/शिविर, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13— कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

Munirul

(महेन्द्र सिंह सेंगर) X/1/06  
महाप्रबन्धक (का०प्र०—प्रथम)

अपै

<b>कार्यालय</b>	
1. संयोजन देने की रिचि:	.....
2. संयोजन संख्या:	.....
3. मैट्रिक्स नं:	रीडिंग:
इस्ताक्षर अवर अभियन्ता	

द्रमाणित फोटो विपकारें।
(निम्न गे रो किरी तो भी प्राणाणित)
1. १०० राशद/विद्याधु
2. शुजपत्रित अधिकारी/बैंक फैजर
3. गान्धी प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धाधार्य/सभासद
4. ग्राम पञ्चान (क्षेत्र ग्रामीण द्वे दंड)

**उपभोक्ता को संयोजन देने हेतु प्रपत्र  
(केवल 4 किवा तक घरेलू संयोजन)**

- उपभोक्ता का नाम: .....
- पिता का नाम: .....
- टेलीफोन/मोबाइल नं: .....
- जहां पर संयोजन लेना है: .....
- स्थायी पता: .....
- परिसर में पूर्व में विद्युत संयोजन था (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो संयोजन संख्या इग्रेट करें। .....
- अधिक जिरायेदार है या मकान मालिक: (यदि जिरायेदार है तो किसीदारी का प्रमाणपत्र, यदि मकान मालिक है तो रजिस्ट्री की स्लायाप्रति संलग्न करें) .....
- मकान में कमरों की संख्या: .....
- प्लाट का आकार (लंबाई) वर्ग मीटर में: .....
- निकटतम खाने से दूरी: .....
- विद्युत भार की अवधिकता: .....
- वर्तमान संयोजन संख्या: .....
- नया विद्युत भार: .....
- आतंरिक विद्युत भार: .....
- वर्तमान में स्वीकृत: .....
- दूसरे भार: .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विषय परिसर मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, यदि असत्य पाया जाय तो मुझे कनेक्शन न दिया जाय अथवा यदि दे भी दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के विच्छेदित कर दिया जाए। यह परिसर बहुमजलीय इमारत अथवा विकसित कलोनी का भाग है जिसका नियमानुसार विद्युतीकरण कराया जा चुका है।

**इस्ताक्षर उपभोक्ता**

**अवर अभियन्ता का प्रमाण पत्र**

- मेरे स्थायी दिनांक ..... को परिसर का निरीक्षण किया और जांच के उत्तरान्त पाया कि उत्तर परिसर में पूर्व ने लेइ विषेष संयोजन नहीं था अथवा उपभोक्ता के परिसर में पूर्व में संयोजन संख्या ..... शा लिस्ट का स्थायी विच्छेदन हो चुका है एवं अब इस परिसर पर कोई बकाया नहीं है अथवा रु. .... बकाया है।
- उपभोक्ता के परिसर से निकटतम खाने की दूरी ..... मीटर है।
- परिसर ..... कमरे हैं और क्षेत्रफल लगभग ..... वर्ग मीटर है।
- परिसर बहुमजलीय भवन/विकसित कलोनी का भाग है/नहीं है, तथा इसका नियमानुसार विद्युतीकरण किया जा चुका है।

**इस्ताक्षर**

नाम अवर अभियन्ता .....  
वरिष्ठता कमांक .....  
उपस्थान/छाड़ का नाम .....

नोट— यदि 15 दिन में संयोजन अवधिकता न हो तो सम्बोधित उपर्युक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।